कार्यवृत्त नीलामी

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 2464/Admin(B-I) सैक्शन दिनांकित जुलाई-26-2024 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के सम्मानित आदेश दिनांकित 30.07.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 03.08.2024 को सायः 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में नीलामी समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें श्री आलोक शर्मा, अपर जिला जज कक्ष संख्या-11 सहारनपुर / सदस्य नीलामी समिति, श्री कमलदीप अपर जिला जज / त्वरित न्यायालय-द्वितीय सहारनपुर / सदस्य नीलामी समिति तथा श्री संजीव कुमार शर्मा कोर्ट मैनेजर सहारनपुर / सदस्य नीलामी समिति उपस्थित आये।

बैठक में सर्वसम्मति से इस न्यायपीठ में पडे निष्प्रयोज्य फर्नीचर की नीलामी की बोली के सम्बन्ध मे नियम व शर्तों पर विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्तें निर्धारित की गयी। केन्द्रीय नाज़िर को निर्देशित किया गया कि उक्त सम्बन्ध में नियम व शर्तों का माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु न्यायपीठ के नोटिस बोर्ड़ व कलेक्ट्रेट में स्थित नोटिस बोर्ड़ तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन करायें तथा ज़िला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी नीलामी विवरण व तिथि अपलोड करायें।

नीलामी की अगली तिथि ए.डी.आर.भवन में दिनांक 23.08.2024 नियत की जाती है।

(संजीव कुमार शर्मा) सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर।	कमलदीप 03.8.24 (कमलदीप) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II सहारनपुर।	3.8.24 (आलोक शर्मा) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-11 सहारनपुर।	03/08/2024 (प्रकाश तिवारी) अध्यक्ष नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-03 सहारनपुर।

अनुमोदित
05/8/24
DISTT. JUDGE,
SAHARANPUR

नियम व शर्तें

न्यायपीठ सहारनपर में पड़े निष्प्रयोज्य पुराने लोहे व लकड़ी के फर्नीचर की नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-2464/Admin(B-1) सैक्शन दिनांकित जुलाई-26-2024 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के आदेश दिनांकित 30.07.2024 के अनुपालन में नीलाम समिति द्वारा उपरोक्त फर्नीचर को नीलाम करने हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1. जिस ठेकेदार के पक्ष में अधिकतम बोली लगाने पर नीलामी छोड़ी जायेगी उसको नीलामी की एक मुश्त धनराशि नीलामी छुटने के बाद जमा करानी होगी। एक मुश्त धनराशि जमा न कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
2. अनुज्ञप्ति धारक के किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्ति धारक को करनी होगी।
3. अनुज्ञप्ति धारक को सम्पूर्ण ठेके की धनराशि के बराबर का अपने अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।
5. बोलीदाताओं द्वारा बोली देने से पूर्व अंकन 5,000/- रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा नकद जमा करानी होगी, बोली की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन बोलीदाताओं के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. समस्त बोलीदाताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।
7. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाली बोली की धनराशि को माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।
8. ठेकेदार को यदि किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि-यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
9. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।
10. ठेकेदारी के समय यदि कोई सामान क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी
11. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।
12. समस्त बोली प्राप्त करने वाले ठेकेदार को बोली की समस्त धनराशि एकमुश्त नीलामी छूटने के बाद अन्दर सप्ताह जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वत: ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. जिन बोलीदाता का ठेका स्वीकार किया जायेगा उस बोलीदाता की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रुप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को ज़ब्त कर लिया जायेगा।

14. ठेकेदार द्वारा उसके पक्ष में नीलामी छूटने के बाद नीलाम किये गये सामान को उठाने का खर्च स्वयम् ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

15. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।

16. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ-पत्र देगा कि वह पूर्व में ड़िफाल्टर नही है।

(संजीव कुमार शर्मा) सदस्य नीलामी समिति / कोर्ट मैनेजर सहारनपुर।	कमलदीप 03.8.24 (कमलदीप) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज/ त्वरित न्यायालय-II सहारनपुर।	03/8/24 (आलोक शर्मा) सदस्य नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-11 सहारनपुर।	03/8/2024 (प्रकाश तिवारी) अध्यक्ष नीलामी समिति / अपर जिला जज कक्ष सं0-03 सहारनपुर।

Seen.
05/08/24

DISTT. JUDGE
SAHARANPUR

प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में पड़े निष्प्रयोज्य पुराने लकड़ी व लोहे के फर्नीचर की सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही दिनांक 23.08.2024 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर. भवन में की जायेगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी की नियम व शर्ते, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-03
सहारनपुर ।

सार्वजनिक सूचना

दीवानी न्यायालय परिसर सहारनपुर में पड़े निष्प्रयोज्य पुराने लकड़ी व लोहे के फर्नीचर की सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही दिनांक 23.08.2024 समय सांय 04:30 बजे न्यायालय परिसर स्थित ए.ड़ी.आर. भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की नियम व शर्तें, स्थान तथा बोली के समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(प्रकाश तिवारी)
अध्यक्ष,नीलामी समिति /
अपर जिला जज कक्ष सं0-03
सहारनपुर।